आज्ञा से
रीडर उपखण्ड अधिक
माण्डलगढ

12/5/2017. पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प दौलपुरा में प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी रूप सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह ने उपाजिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि का आपसी तहमति के पूर्व में पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। न्याय हित में व सामाजिक परम्पराओं का ध्यान रखते हुए पुन: बंटवारा किया जाना उचित नहीं है। न्यायालय का समय बार बार एक ही प्रकरण में निहित कर व्यर्थ किया जाना उचित नहीं है।

अत: न्याय के नैसर्गिक भावना के अनुरूप व सामाजिक परम्पराओं के अनुरूप वादी का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। पूर्व का बंटवारा बदस्तूर रहे।

पत्रावली निर्णित शुमार जाकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 12/5/2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प दौलपुरा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

5-1-4 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं। पत्रावली वास्ते ... आयन्दा दिनांक 29-3-2016 को पेश हो। 29/3/11	पत्रावली ... पीठासीन ... का पद रिक्त है। 21/6/16 ...